

परियोजना का नाम:-

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अंतर्गत जनपद टिहरी के विकासखण्ड देवप्रयाग में बागवान से जामणीखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से ददैली भन्डोली मोटर मार्ग का नवनिर्माण। (6.000 कि०मी०)

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अंतर्गत जनपद टिहरी के विकासखण्ड देवप्रयाग में बागवान से जामणीखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से ददैली भन्डोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 7.000 कि०मी० लम्बाई हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 1440/111(2)/11-05(प्रा०आ०)/2010 दिनांक 28.03.2011 द्वारा ₹ 75.60 लाख की प्राप्त हुई है।

उक्त मार्ग के नवनिर्माण हेतु समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, 8 वां वृत्त, लो०नि०वि० नई टिहरी द्वारा उनके पत्रांक 3681/75 याता-8/2013 दिनांक 22.06.2013 से स्वीकृत है तथा संरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या भूवैज्ञानिक डा० एस०पी० सती, कन्सलटैन्ट जियोलोजिस्ट रामलीला ग्राउण्ड, श्रीनगर गढ़वाल से दिनांक 05.09.2011 से प्राप्त है। उपरोक्त मार्ग के स्थल का संयुक्त निरीक्षण लो०नि०वि० विभाग एवं वनविभाग माणिकनाथ रेंज डांगचौरा के साथ दिनांक 07.09.2013 को किये जाने के उपरान्त ही वनभूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।

अतः उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 3.672 है० में नाप भूमि, 0.765 है० आरक्षित वनभूमि तथा 0.423 है० में सिविल सोयम भूमि अर्थात् कुल 4.860 है० वनभूमि हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित किया जा रहा है।


१८

सहायक अभियन्ता
अ० ख० लो० नि० वि०
श्रीनगर मु० कीर्तिनगर

अधिशाली अभियन्ता
अ० ख० लो० नि० वि० श्रीनगर
मु०-कीर्तिनगर

प्रारूप-2

भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में ददौली भण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (7 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना)

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव - जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में
/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। ददौली भण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण
- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। संलग्न पृष्ठ सं० पर
- ग) परियोजना की लागत। 75.60 लाख
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। अन्य कोई वैकल्प नहीं।
- ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) आवश्यकता नहीं है।
- च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। - मार्ग में कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को रोजगार
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: आरक्षित वन भूमि- 0.765 है० सिविल भूमि- 0.423 हेक्टे०
नाप भूमि 3.672 कुल 4.860 है० भूमि
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है। शून्य
- क) परिवारों की संख्या शून्य
- ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या शून्य
- ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने शून्य
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत गन्जूरी आवश्यक है ? हाँ
- (हाँ/नहीं)
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके संलग्न (पृष्ठ सं०)
अनुसंधान और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण..... सूची संलग्न है।
पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

दिनांक 22-01-2015

स्थान- कीर्तिनगर

25

सहायक अभियन्ता
अ० ख० लो० नि० वि०
श्रीनगर मु० कीर्तिनगर

अधिशाली अभियन्ता
अस्थायी खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर मुख्यालय कीर्तिनगर